अनुलग्नक - 02

मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशाला (कामधेनु निवास) की स्थापना की नीति में संशोधन (प्रथम)

मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशाला (कामधेनु निवास) की स्थापना नीति पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए विभाग द्वारा EOI के माध्यम से दिनांक 09 मई 2025 को आनलाईन बैठक आयोजित की गई थी,जिसमें सक्षम निवेशक, गौशाला संचालक तथा समाजसेवीयों को आमंत्रित किया गया था। दिनांक 15 मई 2025 से 22 निवेशकों तक निवेशकों द्वारा प्रेषित सुझावों पर निर्णय हेतु नीति के अनुलग्नक 01 के बिन्दु क्रमांक 07 के प्रावधानों के अनुसार गठित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 01 अगस्त 2025 को आयोजित की गई। साधिकार समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार नीति में निम्नानुसार संशोधन किए जाते है:-

संशोधन 01: नीति के बिन्दु क्रमांक 11.0 को निम्नानुसार पढा जाए -

शासकीय भूमि के उपयोक्ता अधिकार के संबंध में मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड एवं संबंधित गोपालक संस्था के मध्य अनुबंध किया जाएगा,जिसमें प्रथम बार 20 वर्षो के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार गौपालक संस्था को दिए जाएंगे। दोनो पक्षो के सहमति पर आगामी समय में अनुबंध को 5-5 वर्षो तक बढाया जा सकेगा। तथा उक्त अवधि के उपरांत शासन द्वारा पुन: निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। संतोषजनक संचालन पर संचालकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी।

संशोधन 02: नीति के अनुलग्नक 1 के बिन्दु क्रमांक 10.00 को निम्न से प्रतिस्थापित किया गया है -

''चयनित गोपालक संस्था (निवेशक) द्वारा निविदा में भाग लेने हेतु मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड के नाम से 50.00 लाख की EMD जमा कराई जाएगी,जो निविदा पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी। जिसके उपरांत सफल निविदाकर्ता को राशि रूपए 1.00 करोड Performance guarantee /bank guarantee/सावधि जमा रसीद के रूप बोर्ड को जमा जारानी होगी। सफल निवेशक द्वारा समस्त शर्तो के साथ गौवंश हेतु अधोसंरचनाएं ,भूमि सुधार तथा अन्य आवश्यक कार्य

सफलतापूर्वक करने के उपरांत विभाग द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र दिए जाने पर performance Guarantee की राशि निवेशक को वापस कर दी जाएगी।"

संशोधन 03: नीति के अनुलग्नक 1 के 4.1 को निम्नानुसार पढा जाए -

अभिरूचि अभिव्यक्ति आमंत्रण की सूचना का प्रकाशन बोर्ड द्वारा आवश्यकता अनुसार देश के मुख्य समाचार पत्रों में किया जाएगा। व्यपक प्रचार प्रसार के लिए सूचना का प्रकाशन दोहराया जा सकेगा। सूचना का प्रकाशन बोर्ड/ विभाग की वेबसाईट पर भी किया जाएगा। EOI के माध्यम से जारी निविदा का शुल्क रूपए 5000 मात्र प्रति निविदा होगा।

संशोधन 03: नीति के अनुलग्नक 1 के 4.6 के उपरांत "बिन्दु क्रमांक 4.7 निविदा हेतु अर्हता" जोडा जाता है -

क्र.सं.	श्रेणी	मानदंड	आवश्यक दस्तावेज़
1	संस्था संबंधी जानकारी	निवेशक(BIDDER) / प्रमुख निवेशक भारत के कंपनी/कॉपरेटिव/एफपीओ/न्यास/सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो तथा निविदा प्रकाशन तिथि तक कम से कम पिछले पाँच (05) पूर्ण वित्तीय वर्षों से संचालन कर रही हो।	• निगमन का प्रमाणपत्र • पैन कार्ड • जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र • सीए–प्रमाणित दस्तावेज़ जो संचालन के वर्षों को इंगित करता हो
2	विधिक स्थिति	आवेदक पंजीकृत फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी या कंसोर्टियम (अधिकतम 5 इकाइयाँ) होना चाहिए। कंसोर्टियम के मामले में, एक सदस्य के पास कम से कम 51% इक्विटी होनी चाहिए तथा वह प्रमुख निवेशक के रूप में कार्य करेगा तथा MPGSB के साथ एकल संपर्क बिंदु होगा।	• प्रत्येक सदस्य इकाई के पंजीकरण प्रमाणपत्र • कंसोर्टियम समझौता जिसमें प्रमुख निवेशक तथा अन्य निवेशको के मध्य इक्विटी वितरण स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो • प्रमुख निवेशक को अधिकृत करने हेतु कंसोर्टियम सदस्यों का पावर ऑफ अटॉर्नी
3	Earnest Money Deposit (EMD)	₹50.00 लाख (केवल पचास लाख रुपये) ऑनलाईन माध्यम से ।	• EMD भुगतान की UTR/लेनदेन रसीद की स्कैन कॉपी

क्र.सं.	श्रेणी	मानदंड	आवश्यक दस्तावेज़
			• EMD प्रस्तुत करने की पुष्टि करते हुए कवरिंग लेटर में घोषणा • आवश्यकता पड़ने पर भौतिक सत्यापन हेतु मूल प्रति सुरक्षित रखी जाए
4	Performance Guarantee	₹1.00 करोड़ (केवल एक करोड़ रुपये) राशि परियोजना की स्वीकृति मिलने पर जमा करनी होगी।	निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी
5	तकनीकी क्षमता	a. कम से कम 3 वर्षों का गौ–पालन अनुभव, जिसमें न्यूनतम 500 निराश्रित गौवंश की देखभाल शामिल हों। c. गौ एवं व्यावसायिक गतिविधि हेतु न्यूनतम ₹50 करोड़ की निवेश योजना हो। (स्पष्टता धारा 2.4 में दी गई है।)	• जहाँ बोर्ड/आयोग कार्यरत है, वहाँ गौसेवा आयोग/बोर्ड का मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा • पशु कल्याण बोर्ड का मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा • अधिकृत सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा निराश्रित गौवंश देखभाल का प्रमाणपत्र (केवल तब लागू जब उपरोक्त दोनों शर्तें उपलब्ध न हों)। • भूमि उपयोग, लेआउट, संचालन सहित अवधारणा योजना • किए जाने वाले निवेश का सारांश, सीए–प्रमाणित वित्तीय प्रतिबद्धता पत्र अथवा बैंक/ऋण स्वीकृति पत्र (यदि लागू हो)
6	वार्षिक टर्नओवर	पिछले 10 वर्षों में संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों से संयुक्त टर्नओवर ₹10 करोड़। प्रमुख निवेशक का टर्नओवर न्यूनतम ₹5 करोड़ होना चाहिए। (नीति के बिन्दु क्रमांक 8.2 अनुसार)	• पिछले 10 वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट व पी&एल विवरण • वैधानिक लेखापरीक्षक से टर्नओवर प्रमाणपत्र

क्र.सं.	श्रेणी	मानदंड	आवश्यक दस्तावेज़
			• सीए प्रमाणपत्र जो पात्र गतिविधियों (पंचगव्य, बायोगैस, चारा आदि) से राजस्व इंगित करता हो
7	Non-Blacklisted	निवेशक(BIDDER) पिछले 5 वर्षों में किसी भी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा ब्लेक लिस्टैड न हो।	• निवेशक(BIDDER) के लेटरहेड पर स्व–घोषणा शपथपत्र, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित व सील युक्त (परिशिष्ट E1)
8	इकाई के अनिवार्य दस्तावेज़	आयकर एवं जीएसटी प्राधिकरणों में वैध पंजीकरण।	• पैन कार्ड की प्रति • जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति • संगठन प्रकार के अनुसार अन्य वैधानिक पंजीकरण (FCRA, 12A/80G यदि लागू हो)

नोट – कंसोर्टियम के मामले में उपरोक्त सभी दस्तावेज़ प्रत्येक इकाई द्वारा प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होंगे।

संशोधन 04: नीति के अनुलग्नक 1 के बिन्दु क्रमांक 19.00 "गौपालक संस्था के चयन का सूत्र" को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढा जाए -

कुल प्राप्तांक = (गुणवत्ता आधारित मापदण्डों के प्राप्तांक ×0.65) + (वित्तीय बचत आधारित मापदण्डों के प्राप्तांक ×0.35)

संशोधन 05: नीति के अनुलग्नक 1 के बिन्दु क्रमांक 19.1 गुणवत्ता आधारित मापदण्ड को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाए -

तकनीकी मूल्यांकन मानदंड (65 अंक)

पात्र निवेशकों (Bidders) का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर तकनीकी अंक निवेशकों को (Bidders) को प्रदान किए जाए

क्र.सं.	मानदंड	अधिकतम अंक	मूल्यांकन व अंकन सीमा	प्रमाण हेतु आवश्यक दस्तावेज़
1	वित्तीय क्षमता – निविदा की नीयत तिथी से पहले विगत तीन वित्तीय वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर (निवेशक(BIDDER) /कंसोर्टियम का कुल)	15	• ₹20 करोड़ और उससे अधिक: 15 अंक • ₹10 करोड़ से अधिक और ₹20 करोड़ से कम: 10 अंक • ₹10 करोड़: 5 अंक	• पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (बैलेंस शीट + पी&एल) • चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) का टर्नओवर प्रमाणपत्र
2	गौ–पालन का अनुभव (निराश्रित गौवंश का पालन)	10	• ≥ 7 वर्ष: 10 अंक • ≥ 5 वर्ष: 7 अंक • ≥ 3 वर्ष: 3 अंक	• गौशाला पंजीकरण प्रमाणपत्र • सक्षम शासकीय पशु चिकित्सा संस्था का प्रमाणपत्र/पत्र • संचालन के समर्थन में अभिलेखों सहित स्व–घोषणा पत्र
3	गौशाला प्रबंधन का अनुभव	10	• ≥ 3500 गौवंश: 10 अंक • ≥ 2000 गौवंश : 7 अंक • ≥ 1000 गौवंश: 5 अंक • ≥ 500 गौवंश : 3 अंक	• शासकीय पशु चिकित्सीय संस्था द्वारा प्रमाणीत अथवा सरकारी अभिलेख,जो गौवंश संख्या को इंगित करते हों
4	नीति में अनुमेय व्यवसायिक गतिविधियों का अनुभव (डेयरी/ /पंचगव्य/चारा/नवीकरणीय ऊर्जा/आयुष/जैविक उर्वरक/कृषि–अपशिष्ट आदि)	20	• ≥ 7 वर्ष: 20 अंक • ≥ 5 वर्ष और < 7 वर्ष: 15 अंक • ≥ 3 वर्ष और < 5 वर्ष: 10 अंक • ≥ 1 वर्ष और < 3 वर्ष: 5 अंक	• पंजीकरण प्रमाणपत्र • MSME/फैक्टरी लाइसेंस • स्व–प्रमाणित परियोजना विवरण, फ़ोटोग्राफ़, सरकारी स्वीकृति अथवा उत्पादन/ विपणन अभिलेख
5	परियोजना के अंतर्गत पाले जाने हेतु प्रस्तावित गौवंश संख्या में से निराश्रित गौवंश का प्रस्तावित प्रतिशत	15	• 100% निराश्रित गौवंश: 15 अंक • ≥ 90% से < 80% निराश्रित गौवंश : 10 अंक • ≥ 70% से < 80% निराश्रित गौवंश : 5 अंक	• परियोजना की प्लानिंग
6	निवेश की प्रतिबद्धता **Investment Commitment** (₹ करोड़ में)	10	• ≥ ₹100 करोड़: 10 अंक • ₹75 करोड़ से < ₹100 करोड़: 7 अंक • ₹50 करोड़ से < ₹75 करोड़: 5 अंक	• परियोजना की अवधारणा/ योजना • हस्ताक्षरित निवेश प्रतिबद्धता पत्र • बैंक स्वीकृति पत्र/सीए प्रमाणपत्र/प्रवर्तक (promoter)

क्र.सं.	मानदंड	अधिकतम अंक	मूल्यांकन व अंकन सीमा	प्रमाण हेतु आवश्यक दस्तावेज़
				का undertaking, जो वित्तीय जुड़ाव इंगित करता हो
7	प्रस्तुतिकरण– कार्यप्रणाली और प्रबंधन योजना	20	समिति के मूल्यांकन अनुसार	• परिशिष्ट–G देखें

तकनीकी मूल्यांकन के प्राप्तांक =

$$\frac{\text{निविदाकर्ता के प्राप्तांक} \times 100}{\text{निविदाकर्ताओं में से तकनीकी मूल्यांकन के अधिकतम प्राप्तांक}}$$

संशोधन 06: नीति के अनुलग्नक-1 के बिन्दु क्र. 19.2.1 (ब) को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढा जाए -

वित्तीय मूल्यांकन मानदंड (35 अंक)

ब-1 आकलन का आधार

- गौपालन संस्था (निवेशक) द्वारा निराश्रित गौवंश के रख-रखाव हेतु शासन से अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिये अपेक्षित वर्षों की संख्या के आधार पर अधिकतम **100 अंकों** में अंक प्रदान किए जाएंगे।
- **अनुदान की न्यूनतम अपेक्षा** उच्च वित्तीय आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करती है, अतः ऐसे प्रकरणों को अनुपातिक रूप से अधिक अंक प्रदान किए जाएंगे।

ब-2 विशेष स्थिति :

- यदि कोई निवेशक शासन से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करता है, तो ऐसे निवेशक को इस मानदण्ड के अंतर्गत **पूर्ण 100 अंक** प्रदान किए जाएंगे।

ब-3 अन्य निवेशकों हेतु मूल्यांकन सूत्र

ऐसे निवेशक, जो शासन से अनुदान प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं, अंक निम्न सूत्र के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे :

$$\text{''}\frac{(\text{अधिकतम अवधि के लिए अनुदान की मांग (वर्षों में)} - \text{निवेशक द्वारा की गई अवधि की मांग (वर्षों में)}) \times 100}{\text{अधिकतम अवधि के लिए अनुदान की मांग (वर्षों में)}}\text{''}$$

3.1 निवेशक द्वारा की गई अवधि की मांग (वर्षों में) (Bidder’s Grant Demand) निवेशक द्वारा शासन से अनुदान सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किए गए वर्षो की संख्या।

3.2 अधिकतम अवधि के लिए अनुदान की मांग (वर्षों में) (Maximum Grant Demand) पात्र निवेशकों में से अधिकतम वर्षो के लिए अनुदान की मांग ।

3.3 विशेष टिप्पणी - उपर्युक्त आधार से प्राप्त Score को तत्पश्चात 35 अंकों के पैमाने पर सामान्यीकृत (Normalized) किया जाएगा।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश गौसंवर्धन बोर्ड
मध्यप्रदेश,भोपाल